क्रमांक 1502-4ए0आर0-71/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष (पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और हरियाणा विधान सभा, सचिवालय के सचिव के अतिरिक्त) आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त और सभी उप मण्डल अधिकारी।

दिनांक, चण्डीगढ़ 18 अगस्त, 1971

विषय : राज्य सरकार के कार्यालयों में विलम्ब व रोकथाम ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 1502-4ए0आर0-1/22531, दिनांक 29 जुलाई, 1971 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण पार्टी को हर कार्यालय के स्थान निवास की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी की अनुपस्थिति में निरीक्षण पार्टी को सम्बन्धित कार्यालय के ढूंढने में न केवल असुविधा ही होगी बल्कि इससे समय का भी दुरुपयोग होगा और कई केसों में आकस्मिक निरीक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो सकता है । अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कार्यालय तथा अपने अधीन कार्य कर रहे, उपमण्डल स्तर तक के, सभी कार्यालयों के नाम तथा उसकी वर्तमान स्थिति (location) की पूरी पूरी सूचना संलग्न प्रपत्र में, एक अतिरिक्त प्रति सहित, इस विभाग को इस पत्र की पावती के 10 दिन के अन्दर-अन्दर भेजने का कष्ट करे ।

भवदीय,

हस्ता0

अवर सचिव रक्षा,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

विषय :— राज्य सरकार के कार्यालयों में विलम्ब की रोकथाम ।

क्या सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा) एवं सचिव, सिंचाई विभाग, हरियाणा, उपरोक्त विषय पर इस विभाग के अशा0 क्रमांक 1502-4ए0आर0-71, दिनांक 29 जुलाई, 1971 (प्रति संलग्न है) की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

2. आकस्मिक निरीक्षण के लिये निरीक्षण पार्टी का विभिन्न विश्राम गृहों में पहले से जगह आरक्षित (reserve) कराना ठीक नहीं है । अतः उनसे यह अनुरोध किया जाता है वह अपने विभाग के अधीन विश्राम गृहों से सम्बन्धित कार्यालयों को आदेश जारी करें कि जब भी प्रशासकीय सुधार विभाग की निरीक्षण पार्टी उनके विभाग के किसी विश्राम गृह के सम्बन्धित अधिकारी के पास विश्राम गृह में जगह मांगे तो उस पार्टी को यथा सम्भव जगह दे दी जाए ।

3. इस सम्बन्ध में जो आदेश जारी किए जायें उनकी एक प्रति इस विभाग को भी भेजने का कष्ट करें ।

हस्ता0/-

अवर सचिव रक्षा,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा)

(2) सचिव, सिंचाई विभाग, हरियाणा ।

अशा0क्र0 1502-4ए0आर0-71, दिनांक, चण्डीगढ़ 18/20 अगस्त, 1971